शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–453एमएम/26–2–2012

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊःदिनांक 23 नवम्बर, 2012

विषयः– निजी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–359एम.एम./26–2–2012, दिनांक 01.10.2012, जो समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सम्बोधित है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त शासनादेश के सम्बन्ध में निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–1575/स0क0/शिक्षा–प्रा0पा0/2012–13, दिनांक 26.10.2012 में कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही हैः–

1– उक्त शासनादेश दिनांक 01.10.2012 में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा अधिकारी से मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, जो अनुदान रहित हैं, का निरीक्षण करके आख्या निर्धारित प्रोफार्मा में उपलब्ध कराया जाना है।

2–अ–उन संस्थाओं की भी जांच/सर्वे किया जाना है, जो पूर्व में समाज कल्याण विभाग से अनावर्तक अनुदान/एकमुश्त आर्थिक सहायता प्राप्त कर चुके हैं। आवर्तक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का सर्वे नहीं किया जाना है।

ब–निरीक्षण/सर्वे के पूर्व समस्त प्राथमिक विद्यालयों (निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा संचालित, मान्यता प्राप्त एवं विभाग से अननुदानित) से कोई प्रार्थना–पत्र आमंत्रित नहीं किया जायेगा।

3. उक्त के अतिरिक्त यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 01.10.2012 में जहाँ कहीं भी 'समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत' उल्लिखित है, को विलुप्त किया जाता है। उक्त शासनादेश दिनांक 01.10.2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4. शासनादेश दिनांक 01.10.2012 द्वारा गठित समिति, निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा अधिकारी से मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों का उपरोक्तानुसार निरीक्षण कर, निर्धारित प्रोफार्मा में विवरण जिलाधिकारी को एक माह के अन्दर उपलब्ध करायेगी। जिलाधिकारी उक्त समिति की जांच आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं शासन को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करेंगे। निदेशक, समाज

—2

कल्याण, उ0प्र0 अपनी संस्तुति सहित शासन को प्रस्ताव एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे

भवदीय,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या-453एमएम(1)/26-2-2012-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1575/स0क0/शिक्षा-प्रा0पा0/2012-13, दिनांक 26.10.2012 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(नीलम अहलावत)
विशेष सचिव

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या- C-1686 /स0क0/शिक्षा-ब/2012-13/प्रा0पा0
लखनऊ : दिनांक : 27 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

2:- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(हरि लाल पासी)
निदेशक

शासनादेश संख्या –359 एम0एम0/26–2–2012, दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 का संलग्नक

निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति बाहूल्य प्राथमिक विद्यालयों की जांच कराये जाने संबंधी निर्धारित मानक प्रपत्र

क्र0 सं0	जनपद का नाम/विद्यालय का नाम	विद्यालय की मान्यता की तिथि, सर्टिफिकेट सहित	विद्यालय के संचालन की तिथि, अभिलेख सहित	रजिस्ट्रेशन की तिथि, अभिलेख सहित	नवीनीकरण की तिथि, अभिलेख सहित	विद्यालय की अपनी उपयुक्त भूमि संबंधी अभिलेख एवं भवन की स्थिति का फोटोग्राफी कर फोटो	प्रबंध समिति का कोई विवाद/भूमि विवाद की स्थिति	विद्यालय में छात्र/छात्राओं की संख्या						विद्यालय में तैनात शिक्षकों में प्रचलित आरक्षण नियम के अनुसार आरक्षण कोटा पूर्ण होने की स्थिति	विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की स्थिति का विवरण चार्ट नाम व जाति सहित			अ[illegible]
								पंजीकृत छात्र			उपस्थित छात्र				प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	शिक्षण कार्य करने की अवधि	
								सा0	पि0	अ0जा0/ ज0जा0	सा0	पि0	अ0जा0/ ज0जा0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

[illegible]

([illegible])

अनुभाग अधिकारी

समाज कल्याण अनुभाग-2

उत्तर प्रदेश शासन।

समिति के सदस्यों के स्पष्ट नाम/पदनाम/हस्ताक्षर मुहर स

1

2

3